राजस्व वाद 155/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
हरीराम बनाम् छोटूराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :155/2021

वादीगण–

1. हरीराम गोद पुत्र बक्शाराम जाति रेगर निवासी–सोमणा तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. छोटूराम
2. जगदीश
3. नेमीचंद पुत्रगण गेनाराम
4. मंजू पुत्री बक्शाराम
5. सोहनी देवी पत्नी बक्शाराम

   जातियान–रेगर, निवासीगण–सोमणा तहसील जायल (नागौर)
6. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से
3. श्री राजेन्द्र ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 5 की ओर से
4. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित परर्फोमा पक्षकार

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 18/10/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बडेर की पुस्तैनी एवं सहखातेदारी की भूमि मौजा सोमणा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 919 रकबा 0.9712 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 930 रकबा 1.2950 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2068 में वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से ख) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा

18/10/2024
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी हरीराम एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 मंजुदेवी, सोहनी देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोमणा का खेत खसरा नंबर 919 रकबा 0.9712 हेक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोमणा का खेत खसरा नंबर 930 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। वादी हरीराम के जाईन्दा पिता चेनाराम थे। वादी को उसके बाबा बक्शाराम एवं उनकी पत्नी सोहनी ने गोद ले लिया। वादी का अपने जाईन्दा पिता चेनाराम की भूमि में से कोई हक हिस्सा नहीं रहा तथा वादी के जाईन्दा भाई पन्नाराम, गणेशराम के बंट में चेनाराम की भूमि अलग –अलग खातेदारी में दर्ज करा दी है। मोजा सोमणा के खसरा नंबर 919 व 930 में वादी के जाईन्दा भाई पन्नाराम, गणेशराम व माता गिगा देवी ने वादी के पक्ष में दिनांक 25.06.2012 को तर्कनामा कर दिया जिससे वादी के जाईन्दा भाई व माता का नाम तो हट गया परन्तु विवादग्रस्त खसरानों में वादी का नाम डबल रहे गये इसलिये मोजा सोमणा के खाता संख्या 863 में से हरीराम पुत्र चेनाराम का नाम हटाकर हरीराम गोद पुत्र बक्शाराम जाति रेगर निवासी सोमणा दर्ज किया जावे। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने उपस्थित न्यायालय ईकबाली जबाब पेश किया जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता बस्तीराम ढाका ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 5 की पहचान अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिह ढाका तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री मुकेश बिडियासर ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 का सम्मन स्वयं से तामील होकर अप्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह हरीराम गोद पुत्र बक्शाराम, के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम सोमणा तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 863 प्रदर्श–1 पेश हुवे, पंजीयक गोदनामा हरीराम पुत्र चेनाराम दत्तक पुत्र बक्शाराम का पत्रावली में सलंग्न है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब व सहमति से वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी एवं सहखातेदारी की है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 27.09.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब एवं साक्ष्य शपथ पत्र पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 27.09.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा सोमणा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खेत खसरा नं. 919 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के संयुक्त हक बंट में रखकर तथा मुतदाविया शेष खसरा नंबर 930 रकबा 1.2950 प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के इस्तदुआ अनुसार बंट में रखा गया है। अतः मौजा सोमणा तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. खेत खसरा नं. 919 व 930 का माफिक ईकबालिया जबाब/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सोमणा तहसील जायल के विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 919 व 930 की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य माफिक सहमति व ईकबाली जबाब अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी हरीराम एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 मंजुदेवी, सोहनी देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोमणा का खेत खसरा नंबर 919 रकबा 0.9712 हेक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोमणा का खेत खसरा नंबर 930 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

18/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :155/2021

वादीगण–

1. हरीराम गोद पुत्र बक्शाराम
   जाति रेगर निवासी–सोमणा तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. छोटूराम
2. जगदीश
3. नेमीचंद पुत्रगण गेनाराम
4. मंजू पुत्री बक्शाराम
5. सोहनी देवी पत्नी बक्शाराम
   जातियान–रेगर, निवासीगण–सोमणा तहसील जायल (नागौर)
6. तहसीलदार जायल जरिये सरकार
7. सुमन पुत्री जगमालसिंह जातियान जाट, निवासी–मांगलोद

उपस्थिति :–

1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से
3. श्री राजेन्द्र ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 5 की ओर से
4. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार परर्फोमा पक्षकार

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 श्री मुकेश बिडियासर एवं राजेन्द्रसिंह ढाका अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

18/10/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सोमणा तहसील जायल के विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 919 व 930 की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य माफिक सहमति व ईकबाली जवाब अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी हरीराम एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 मंजुदेवी, सोहनी देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोमणा का खेत खसरा नंबर 919 रकबा 0.9712 हेक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोमणा का खेत खसरा नंबर 930 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

18/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफ्रिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

18/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner